(वाद संख्या–4445/17)

18.09.2019

परिवादी, रिचा सागर, अनुपस्थित हैं।

परिवादी के परिवाद–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को पांच बार स्मारित किये जाने के बावजूद प्रतिवेदन अप्राप्त है।

परिवादी को भी उपस्थिति हेतु आयोग द्वारा भेजा गया। नोटिस इस तामिला के साथ वापस लौट आया है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद–पत्र में अपूर्ण पता दिया गया है।

पस्तुत मामला परिवादी द्वारा एक राहुल राज व अन्य व्यक्तियों द्वारा उसे प्रताड़ित करने तथा उसके पांच वर्षीय पुत्र, अंकित का अपहरण करने से संबंधित उसके परिवाद–पत्र पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना के द0प्र0सं0 की धारा 154(3) के अन्तर्गत थानाध्यक्ष, पाटलिपुत्र द्वारा प्राथमिकी दर्ज न करने से संबंधित है।

प्रस्तुत मामला माननीय न्यायालय के आदेश का एक लोक पदाधिकारी (थानाध्यक्ष, पाटलिपुत्र) द्वारा अनुपालन न किये जाने से संबंधित है जिसके संबंध में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष के विरूद्ध न्यायिक आदेश को नहीं मानने को लेकर कारण–पृच्छा की मांग की गयी है। प्रसंगाधीन मामले में संबंधित न्यायालय द्वारा विधिनुसार कार्रवाई की जा सकती है। आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई भी कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त के आलोक में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी के परिवाद–पत्र में दिये गये पते पर आज पारित ओदश के संबंध में उन्हें सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>